

दिनांक 14-9-2021

सूचना

क्रमांक 704/सीसी /2021/अड़तीस : मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ,मंत्रालय के आदेश क्रमांक 544/94/सीसी /2021 अड़तीस ,भोपाल दिनांक 15.7.2021 के द्वारा जारी अकादमिक कैलेंडर के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 की शैक्षणिक गतिविधियां 15 सितम्बर ,2021 से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 50% उपस्थिति के साथ प्रारम्भ की जाती हैं ।

शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ करने के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है ,इस हेतु महाविद्यालय में प्रवेश द्वार पर संलग्न सहमति पत्र दिखाना अनिवार्य होगा । सभी छात्राएँ संलग्न सहमति पत्र (अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ ही उपस्थित होंगी।

आदेशानुसार
प्राचार्य

website पर upload करें .

Barber.

स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन/प्रायोगिक कार्य हेतु
विद्यार्थी का घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री शैक्षणिक सत्र
2021-22 के अंतर्गत स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर का/की
नियमित विद्यार्थी हूँ।

मैं स्वैच्छिक आधार पर महाविद्यालय में प्रायोगिक कार्य/शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त
करने/नियमित कक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ।

मुझे कोरोना (कोविड-19) से उत्पन्न स्थितियों एवं स्वास्थ्य पर होने वाले विपरीत प्रभावों की
जानकारी है। मैं कोरोना (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर
जारी दिशा-निर्देशों तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी "मानक संचालन प्रक्रिया" का पालन सुनिश्चित
करूंगा/करूंगी।

दिनांक :-

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

विद्यार्थी का नाम

कक्षा

महाविद्यालय का नाम

मो.नं.

अभिभावक का सहमति/घोषणा पत्र

मेरा पुत्र/पुत्री कक्षा महाविद्यालय
में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत है। मुझे कोरोना (कोविड-19) के प्रसार तथा उत्पन्न
स्थितियों व बचाव के विभिन्न उपायों की जानकारी है।

मैं स्वेच्छा से अपने पुत्र/पुत्री को महाविद्यालयों में प्रायोगिक कार्य/शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त
करने/नियमित कक्षाओं में शामिल होने की सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

दिनांक :-

अभिभावक के हस्ताक्षर

अभिभावक का नाम

मो.नं.

स्थानीय निवास का पता